मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 69 | जुलाई, 2024 | अंक 07 | कुल पृष्ठ 6

कृषि और अमृतकाल: आगे का रास्ता

- अजय वीर जाखड़ , **अध्यक्ष, भारत कृषक समाज**

जैसे-जैसे भारत अमृत काल की ओर बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र की यात्रा कठिन और चुनौतियों से भरी होगी। यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है। इस सदी में, भारतीय कृषि इस बात से जूझ रही है कि पुराने मॉडल से कैसे आगे बढ़ा जाए। नीति निर्माता किसानों के लिए सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। हम कुछ परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें बदलना हमारी क्षमता से परे हो सकता है।

एक, जलवायु अपरिवर्तनीय रूप से बदतर होती जा रही है। हम पहले से ही फसल उत्पादन और आजीविका को प्रभावित करने वाली अनियमित जलवायु घटनाओं की शुरुआत देख रहे हैं। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन नहीं बदलेगा और हमें इसकी अन्यायपूर्णता के साथ जीना होगा। कई वर्षों से, अमेरिका ने जानबूझकर विवाद-निपटान तंत्र को कमजोर कर दिया है। जब यह चालू हो जाएगा, तो भारतीय राजनेताओं को यह पता नहीं चलेगा कि घरेलू स्तर पर इसके फैसलों से कैसे बाहर निकला जाए। तीसरा, बड़ी संख्या में छोटी भूमि जोत (कुल कृषि योग्य भूमि का 85 प्रतिशत) मूल रूप से प्राथमिक उत्पादकों के लिए अपने पेशे से सम्मानजनक जीवन जीने की गुंजाइश को सीमित करती है। चौथा, उपभोक्ताओं के लिए कम खाद्य कीमतें सुनिश्चित करने की वैश्विक प्राथमिकता कृत्रिम रूप से कृषि-द्वार कीमतों को कम करके सबसे आसानी से प्राप्त की जा सकती है। यह खेती को पर्यावरणीय रूप से असंवहनीय और आर्थिक रूप से अलाभकारी बनाता है। पांचवां, कृषि के लिए पानी की अत्यधिक मांग के कारण घटते जलभृत एक सीमा बिंदु पर पहुंच रहे हैं, जहां खाद्य बास्केट क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी निकालना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। देश के बड़े हिस्से में पीने का पानी पहले से ही एक मांग वाली मौद्रिक वस्तु बन गया है। जबकि ये हमारे चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ने की हमारी क्षमता को बहुत सीमित कर देते हैं, अन्य चीजें बदल सकती हैं, बशर्ते इच्छाशक्ति हो। यह आसान नहीं होने वाला है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है - कि हम अपनी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं होते, बल्कि केवल उनके द्वारा आकार लेते हैं। कई क्षेत्रों में कार्रवाई की आवश्यकता है।

कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में निवेश मुद्रास्फीति के स्तर से नीचे रहा है । दूसरे शब्दों में, वित्तपोषण में वास्तव में गिरावट आई है, जबकि कृषि अनुसंधान में निवेश किया गया प्रत्येक रुपया अन्य निवेशों

की तुलना में 10 गुना से अधिक आर्थिक लाभ देता है।

कृषि बाज़ार स्वाभाविक रूप से अनुचित हैं। हम अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि इसके अपरिहार्य अनपेक्षित परिणामों को कैसे संबोधित किया जाए। लेकिन, कृषि एक राज्य का विषय है, जहाँ राज्य राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाकर काम नहीं करते हैं, बल्कि भविष्य में निवेश करने के बजाय लोकलुभावन दान-पुण्य के लिए अल्प संसाधनों का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज जिस मुफ़्त या अवास्तविक रूप से कम कीमतों पर वितरित किया जाता है, वह कृषि-द्वार की कीमतों को इस तरह से कम करता रहता है कि प्राथमिक उत्पादन एक अप्रिय और अव्यवहारिक पेशा बना रहता है। विषम उर्वरक सब्सिडी जैसी इनपुट सब्सिडी उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग को जन्म देती है, जिससे लोगों और ग्रह के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर सार्वजनिक ऋण, दीर्घ अवधि के लिए योजना बनाने के लिए कम वित्तीय लचीलापन छोड़ता है और अंतहीन आगे की सब्सिडी की अनुमति नहीं देता है। कई राज्य तकनीकी रूप से दिवालिया के रूप में वर्गीकृत होने की कतार में हैं। राज्यों के लिए एक संप्रभु दिवालियापन प्रक्रिया गायब है।

अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र और राज्यों में कृषि क्षेत्र का प्रबंधन करने वाले मंत्रालयों में अयोग्य शासन और जवाबदेही की कमी मुख्य रूप से अक्षमता के कारण नहीं है, बल्कि शीर्ष पर बैठे लोगों के रवैये के कारण है - वे मानते हैं कि उनके पास शक्तियां हैं क्योंकि उनके पास जवाब हैं।

मुख्य चुनौती सिर्फ़ कृषि उत्पादकता में सुधार करना नहीं है, जो कि सिर्फ़ एक निश्चित स्तर के इनपुट से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उत्पादकता में होने वाले लाभ को बनाए रखा जा सके और व्यापक रूप से साझा किया जा सके। यह विकास समावेशी होना चाहिए।

हर दिन सरकार टालमटोल करती है और हर नीतिगत गलती अगले दौर के उपलब्ध विकल्पों को कम करती है। आज, सबसे महत्वपूर्ण कदम वे होंगे जो प्रधानमंत्री उठाने जा रहे हैं। ढांचे में केवल फेरबदल ही पर्याप्त नहीं होगा और अगर नीतियों को तैयार करने की प्रक्रिया सहित कुछ भी मौलिक रूप से नहीं बदला गया, तो हम खुद को कल्पनाओं का पीछा करते हुए और अपने बुरे सपनों में जीते हुए पा सकते हैं।

भारत कृषक समाज की बुनियाद 3 अप्रैल, 1955 को रखी गई थी। अटूट भावना के साथ, हम गर्व से अपने 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जो भारत के किसानों की समृद्धि के लिए हमारी स्थायी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।

कृषक समाचार 1960 और 1970 के दशक के लेखों के साथ हमारी विरासत की प्रतिध्वनियों को उजागर करते हुए पुनः खोज की यात्रा पर निकल पड़ा है। जैसे ही हम स्मृति के क्षेत्रों से गुज़रते हैं, हमारे साथ जुड़ें, जहाँ अतीत का ज्ञान हमारे साझा भविष्य के लिए मार्गदर्शन में विकसित होता है।

हम सब मिलकर अपनी बुनियादी जड़ों का सम्मान करेंगे और आगे का रास्ता मजबूत करेंगे!

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

कृषक समाचार, मई 1964 अंक में प्रकाशित (कृषि को सब्सिडी दें)

डॉ. पंजाबराव देशमुख, सांसद, का शनिवार, 28 मार्च 1964 को लोकसभा में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान दिया गया भाषण। (जिस समय उन्होंने यह भाषण दिया, उस समय वे भारत कृषक समाज के प्रेसिडेंट थे। इससे पिछले मंत्रालय में वे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे)

भाषण का दूसरा भाग (2/2).....

डॉ. एम.एस. अणे (नागपुर): आखिर इसका मतलब क्या है?

डॉ. पी.एस. देशमुखः मेरे कहने का मतलब है, इसमें समय लगता है क्योंकि कोऑपरेटिव चलाने के लिए ईमानदार लोगों का होना जरूरी है। समस्या यह है कि जिसके जो हाथ लगे वह छीन लेना चाहता है। मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती की इस बात से सहमत हूं कि कर्ज बहुत आवश्यक है। इसमें भी मैं वही बिंदु उठाना चाहूंगा। किसी छोटे किसान को कर्ज देते समय उसकी वापसी ना हो पाने का जोखिम सरकार को उठाना चाहिए। उन्हें खुद को इसके लिए तैयार करना होगा। किसान पीढ़ियों से बारिश और मानसून के साथ जुआ खेलते आ रहे हैं, और अब समय आ गया है कि जुए के इस जोखिम में सरकार भी भागीदारी करें।

अगर आप किसान को इस उम्मीद के साथ पैसे देते हैं कि वह अधिक उत्पादन करेगा, और अगर कोई आपदा आती है तथा वह कर्ज नहीं लौटा पाता है, तो बेहतर होगा कि आप उसका कर्ज सीधे माफ कर दें। आपको इसके लिए एक निश्चित रकम अलग रखनी चाहिए। जब तक आप जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक अधिक उत्पादन कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कर्ज लेने की योग्यता नहीं है। अगर आप कभी उनकी मदद नहीं करेंगे तो वे भी कभी भुखमरी की हालत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे कभी अधिक उत्पादन नहीं कर सकेंगे और आप कभी इस देश की कृषि की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे।

जहां तक चीनी की बात है, तो क्रशर के लिए लाइसेंस फीस लगाने के विचार से मैं सहमत नहीं हूं। यहां भी हम अक्सर मिल मालिकों तथा उन लोगों के हितों का ख्याल रखते हैं जिन्होंने बड़ा मुनाफा कमाया है। किसानों को इससे वंचित रखते हैं। हम कीमत को प्राथमिकता देते हुए इस पर विचार करते हैं और वास्तविक समस्या की ओर ध्यान नहीं देते। सच तो यह है कि संपूर्ण चीनी नीति और गन्ने की खेती पर कभी उचित तरीके से विचार ही नहीं किया गया, यहां तक कि मेरे कृषि मंत्री रहने के दौरान भी नहीं। जब इन गरीब किसानों ने अधिक उत्पादन किया तो विभाग तथा अन्य सभी उनके पीछे पड़ गए। पूरा सदन और सरकार इस बात को लेकर चिंतित थी कि सरप्लस का क्या किया जाए। इसलिए यह आदेश जारी किया गया कि 10% कम उत्पादन होना चाहिए। यह दिखाता है कि अक्सर हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं होते। अतीत में ऐसा भी हुआ है कि जब व्यापारी दो लाख टन चीनी निर्यात करने के लिए शोर मचा रहे थे, लेकिन तीन महीने में ही कालाबाजारी इतनी अधिक होने लगी कि दो रुपये से कम में एक सेर चीनी नहीं मिलती थी। यह बड़े दुख की बात है कि हमने अपने पुराने अनुभवों से कुछ नहीं सीखा और रिकॉर्ड चीनी उत्पादन के लिए किसानों अथवा मिल मालिकों को दोषी ठहरने लगे। शिकायत यह की गई कि खपत नहीं बढ़ी है। अब खपत बढ़ गई है। हालांकि इस साल का उत्पादन 30 लाख टन के रिकॉर्ड से कम रहने की

संभावना नहीं है, फिर भी कमी की बात कही जा रही है और सरकार इसकी राशनिंग करने पर विचार कर रही है। सिद्धांत रूप से या किसी अन्य तरीके से मैं राशनिंग और कंट्रोल के पूरी तरह खिलाफ हूं। मैं जोन के भी खिलाफ हूं क्योंकि यह व्यवस्था किसानों को थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाने की संभावना ही खत्म कर देती है। मेरे कहने का आशय है कि हमें पूरी समस्या पर इस बिंदु से विचार करना पड़ेगा। आप किसी भी श्रेणी का किसान ले लीजिए, आप चाहें तो मझोले वर्ग का किसान लीजिए। खरीद मूल्य एक रुपया बढ़ाने का खाद्य एवं कृषि मंत्री का कदम निश्चित ही बहुत अच्छा था। लेकिन यह ना इधर का है ना उधर का। यह सब छोटी-छोटी चैरिटी हैं जिनके लिए किसान कृतज्ञ हैं। लेकिन इससे किसानों का घाटा कम करने और उनके कुछ मुनाफा कमाने में कोई मदद नहीं मिलती है। यह समस्या से निपटने का रास्ता नहीं है। किसी भी तरह से श्रमिक वर्ग और शहरी लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा मत कीजिए। आप सब्सिडी दीजिए, लेकिन साथ में यह भी देखिए कि तदर्थ मूल्य निर्धारण से किसान ना मारे जाएं। ऐसा ना हो कि उन्हें लाभकारी मूल्य ना मिले। उचित कीमत पर्याप्त नहीं है। यह लाभकारी मूल्य होना चाहिए, क्योंकि उसे पहले से अधिक मेहनत करने के लिए जिंदा रहना है। आपको अधिक कृषि उत्पादन चाहिए तो आप उसके लिए अधिक कीमत चुकाने को भी तैयार रहें। लघु सिंचाई, कंपोस्ट जैसे क्षेत्रों में मंत्रालय के किए गए काम आमतौर पर सराहनीय हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी परिणति ज्यादा उत्पादन में नहीं दिखती है। मुझे खुशी है कि अभी तक 8.1 करोड़ टन का रिकॉर्ड मेरे नाम है, जिसे मेरे मित्र अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं। मैं उन्हें इस साल के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे ज्यादा उत्पादन करने में सक्षम होंगे। जब तक हम अपनी नीति नहीं बदलेंगे और समस्या पर इस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तब तक हम इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग हैं जो सब्सिडी का नाम सुनकर घबराते हैं। मेरा दावा है कि दुनिया में कोई भी देश नहीं जहां कृषि को सब्सिडी ना दी जाती हो। दुनिया में कोई देश नहीं जहां कृषि अपने दम पर मुनाफा देती हो। कृषि से मुनाफे की उम्मीद करना बेवकूफी होगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब की उपजाऊ जमीन पर हो सकता है यह संभव हो, जहां नहरों से सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। वहां खेती से मुनाफा हो सकता है। लेकिन मैं अपनी 80 एकड़ जमीन देता हूं और दावा करता हूं कि वे साल में सिर्फ 2000 रुपए मुनाफा कमा कर दिखाएं। यह बहुत मुश्किल है। यूरोप में कृषि में मुनाफा पशुपालन की वजह से है, सिर्फ खेती की वजह से नहीं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) जो इस मंत्रालय में आए हैं, इन समस्याओं के प्रति नया नजरिया रखेंगे और मौलिक सुधार के कदम उठाएंगे। मेरे माननीय मित्र श्री थॉमस की शिकायत है कि इस पर चर्चा में किसी की तरफ से कोई क्रांतिकारी सुझाव नहीं आया। हो सकता है मेरा सुझाव क्रांतिकारी ना हो, लेकिन यह देश के कृषि उत्पादन में निश्चित रूप से क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं और इस बात की गारंटी भी दे सकता हूं। नौवें और दसवें संयुक्त किसान सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे। वे प्रस्ताव थोड़े लेकिन संवेदनशील हैं। विस्तृत विमर्श के लिए उनकी सराहना करता हूं क्योंकि वे व्यावहारिक और ठोस सुझाव हैं और सीधे किसानों की तरफ से आए हैं। ये सुझाव यह भी बताते हैं कि अगर आप पूरी समस्या को इस कोण से नहीं देखेंगे तो कृषि नीति के किसान-उन्मुख होने की घोषणा वास्तव में आकर नहीं ले सकेगी। अगर उनके दिए गए सुझावों को स्वीकार किया जाता है, तो हम न सिर्फ किसानों को थोड़ी

राहत देंगे, बल्कि हमारे सामने जो भीषण चुनौती है उसका भी समाधान करेंगे। इससे बढ़कर कोई चुनौती नहीं है। देश में खाद्यान्न की उपलब्धता से बढ़कर चीन की चुनौती भी नहीं है। इस सदन का हर सदस्य महसूस करता है कि प्रधानमंत्री इस पोर्टफोलियो के साथ खेल रहे हैं। ऐसा कहने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस पोर्टफोलियो को कभी वह दर्जा नहीं मिला जिसका वह हकदार है। मैं कृषि मंत्री के तौर पर काम करता था, लेकिन मेरे ऊपर कोई और था और मैं जो चाहता था वह नहीं कर सका। मंत्रालय में भी अनेक ऐसे लोग हैं जो खेती के बारे में ज्यादा समझ नहीं रखते। वे ऐसे सुझाव देते रहते हैं जिनसे कृषि को नुकसान होता है। उनके सुझाव किसी भी तरह मददगार नहीं हैं।

श्री हरि विष्णु कामतः आपको यह एहसास होने में 10 साल लग गए?

डॉ. पी.एस. देशमुखः वे 10 साल बताएंगे कि इस दौरान लगातार प्रगति हुई है। सिर्फ 4.6 करोड़ टन से बढ़कर यह 8.1 करोड़ टन हो गया है। मेरे हटने के बाद ही उत्पादन में गिरावट आई है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य मेरे रिकॉर्ड की जांच करें। वे पाएंगे कि वे पैकेज डील के जरिए तथा लाखों रुपए खर्च करने के बाद जो करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने वह बिना किसी खर्च के जापानी पद्धति लागू कर हासिल किया।

एक माननीय सदस्यः तो आपको वापस आना चाहिए।

डॉ. पी.एस. देशमुखः मैं वह नहीं चाहता। मैं जहां हूं वहां बहुत खुश हूं। मैं श्री थॉमस की पदोन्नति के लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। वे पूरी तरह इसके हकदार हैं। उन्होंने बेहतरीन काम किया है। मुझे सरदार साहब का स्वागत करने की भी खुशी है, क्योंकि इस मंत्रालय में यह उनका पहला बजट है। मुझे उनसे काफी उम्मीदें हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को उन पर भरोसा है, और हम सबको भी। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि वे अपनी नियुक्ति को वाजिब ठहराएंगे और वास्तव में कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं और उन्हें आगाह करना चाहता हूं, कि अगर उन्होंने पूरी समस्या को किसानों के नजरिए से नहीं देखा तो वे कभी सफल नहीं होंगे। बतौर किसान हम कभी ज्यादा हठी नहीं होते, और ना ही कभी ज्यादा सख्त होते हैं। हम यह नहीं कहते कि जो हमने कहा वही पूरी तरह सही है और आपको हमारी हर मांग पूरी करनी चाहिए। लेकिन यहां बात सही एटीट्यूड और नजरिए की है। अगर इसे अपनाया गया तो हमारी अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हमारी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। भारत सरकार को सब्सिडी के तौर पर हजारों रुपए खर्च करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा निवेश है जिसकी एक-एक पाई ज्यादा नहीं तो कम से कम दोगुनी या तीन गुनी होकर वापस मिलेगी। इसलिए उन्हें ऐसी तंगदिल बात नहीं करनी चाहिए कि देश के फाइनेंस का क्या होगा। अगर सब्सिडी दी जाए, यदि सस्ते बीज उपलब्ध कराए जाएं, सस्ती खाद दी जाए और सिंचाई कम दरों पर हो तो किसान वह उत्पादन हासिल कर सकेंगे जिसकी हम उनसे उम्मीद करते हैं। अन्यथा हम इन समस्याओं को हमेशा झेलने के लिए अभिशप्त होंगे।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2024-26
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2024-26

प्रकाशन की तिथि : 1 जुलाई, 2024
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
तारीख 4 एवं 5, जुलाई 2024

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नामः _____

सदस्यता संख्याः _____

वर्तमान पताः _____

_____

टेलीफोन नंबरः _____

मोबाइल नंबरः _____

ईमेलः _____

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा इस माह के अन्त तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, **वैबसाईटः** www.bks.org.in **के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**